

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-05/2025 अ0सं0- 981

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

मधुबनी/सारण (छपरा)/दरभंगा/जमुई/पश्चिम बंगाल(बेतिया) एवं गया जी।

पटना, दिनांक- 20/2/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

3. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :

क्र. सं.	विषयशीर्ष 37.01-अनुसूचित अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम:	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि(रु):	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	17	85000	श्रम अधीक्षक, मधुबनी का पत्रांक-693, दिनांक-25.06.2025, पत्रांक-1257, दिनांक-09.11.2025 एवं पत्रांक-163, दिनांक-16.01.2026 के आलोक में।
2	37.01	सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	03	15000	श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा) का पत्रांक-180, दिनांक-21.01.2026 के आलोक में।
3	37.01	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	05	25000	श्रम अधीक्षक, दरभंगा का पत्रांक-165, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में।
4	37.01	जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	01	5000	श्रम अधीक्षक, जमुई का पत्रांक-69, दिनांक-22.01.2026 के आलोक में।

6. अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लागावित नहीं किया गया हो।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
8. श्रमायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
 ६० / -
 (मनीष कुमार)
 उप श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-05/2025 श्र0सं0- 38।

पटना, दिनांक- 20/2/26

प्रतिलिपि: सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष)/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत न्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोस्तक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन
 Signed by Manish Kumar
 Date: 19-02-2026 18:19:10
 (मनीष कुमार)
 उप श्रमायुक्त।